यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर** के माह **फरवरी 2020 से फरवरी 2021** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विकास कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.03.2021 से 10.03.2021 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 02/2019 से 01/2020 तक की लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स ले प अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक तथा श्री आलोक कुमार, व. लेखा परीक्षक के द्वारा श्री जगमोहन रावत, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 19.02.2020 से 02.03.2020 तक की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत कार्य आदि का निर्माण तथा सुधार) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

3. बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**मुख्य लेखाशीर्ष**	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**	**टिप्पणी**
	स्थापना	**गैर स्थापना**		**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**			
2018-19			5054, 3054, 2059, 2243, 2216	518.73	516.24	1183.54	1183.54			
2019-20				21.43	456.22	999.22	820.55		178.67	समर्पण
2020-21 (02/2021 तक)				16.81	383.65	1452.29	565.06		887.23	

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**B**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

⬇

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

⬇

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

⬇

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

⬇

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **मार्च 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में निरीक्षण नहीं किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2019 एवं माह _____में की गयी थी।

4. फार्म 51: माह 03/2019

   भाग प्रथम -

   भाग द्वितीय -

5. खण्ड के माह 02/2021 के उचन्त लेखों के अवशेष

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम – रु 1903407.00

   (ख) सामग्री क्रय - शून्य

   (ग) नगद परिशोधन - शून्य

   (घ) निक्षेप - रु 18601821.00

   (ङ) भण्डार -रु 1225572.00

भाग दो (अ)

प्रस्तर-1: वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप `1203.78 लाख की धनराशि व्यय करने के उपरांत भी स्वीकृति के आठ वर्ष बाद भी डुंगरीपंथ-छांतीखाल-खेड़ाखाल मोटर मार्ग के कि. मी. 1 से 15.92 कि. मी. तक डेढ़ लेन में परिवर्तन एवं पी सी के द्वारा सुधारीकरण का कार्य अपूर्ण रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,निर्माण खंड, लो.नि. वि, श्रीनगर उत्तराखण्ड के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर क्षेत्र में विशेष आयोजनागत सहायता (एस पी ए) के अंतर्गत डुंगरीपंथ-छांतीखाल-खेड़ाखाल मोटर मार्ग के कि. मी. 1 से 17.50 कि. मी. तक डेढ़ लेन में परिवर्तन एवं पी सी के द्वारा सुधारीकरण हेतु शासनादेश संख्या- 51/III(3)/2013/दिनांक-23.01.2013 के द्वारा `1514.03 लाख धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त के अनुपालन में मुख्य अभियंता (ग.क्षे.) लो.नि.वि, पौड़ी स्तर से उक्त मोटर मार्ग हेतु 15.922 कि. मी. हेतु `1474.61 लाख की तकनीकी स्वीकृति पत्रांक संख्या-403/01/एस पी ए (12)-पर्व./2013/दिनांक-26.02.13 के द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए अधीक्षण अभियंता स्तर का अनुबंध संख्या-13/एस ई-12/2012-13/ दिनांक-21.03.2013 धनराशि `1116.73 करोड़ न्यूनतम निविदादाता मेसर्स वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के पक्ष में गठित किया गया। उक्त अनुबंध के अनुसार उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ एवं पूर्ण करने हेतु तिथियाँ क्रमशः 21.03.13 एवं 20.09.14 निर्धारित थीं।

जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि संप्रेक्षा तिथि तक उक्त निर्माण कार्य पर उक्त निर्माण कार्य के संरेखण में 2.40 हेक्टेयर वनभूमि होने के कारण एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से विधिवत स्वीकृति न मिल पाने के कारण संबन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्य सितंबर 2016 में `1022.89 लाख की धनराशि प्राप्त करने के उपरांत भी अपूर्ण ही छोड़ दिया गया था तथा संबन्धित ठेकेदार के अनुबंध का अंतिमीकरण संप्रेक्षा तिथि (मार्च-2021) तक भी नहीं किया गया था। जबकि उक्त वन भूमि के संबंध में अप्रैल-2018 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से विधिवत स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि के पाँच वर्ष बाद प्राप्त हुई।

संप्रेक्षा के दौरान आगे यह भी पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि के संबंध में भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्रखण्ड स्तर पर अप्रैल-2018 से उक्त निर्माण कार्य डुंगरीपंथ-छांतीखाल-खेड़ाखाल मोटर मार्ग के अवशेष कार्य के संबंध में निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए न्यूनतम निविदादाता मै. ए बी कंस्ट्रक्सन कंपनी के पक्ष में अधीक्षण अभियंता स्तर का अनुबंध संख्या-22/एस.ई-12/2018-19/दिनांक-23.02.19 धनराशि `165.90 लाख का गठित किया गया। जिसके अनुसार उक्त कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 23.02.19 एवं 22.08.19 थीं। जबकि उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि व्यतीत होने के डेढ़ वर्ष पश्चात भी संबन्धित ठेकेदार को `147.79 लाख की धनराशि भुगतान किए जाने के पश्चात भी उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण भी था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संबन्धित ठेकेदार को सक्षम स्तर से समय वृद्धि भी लेखा परीक्षा तिथि तक स्वीकृत नहीं की गई थी। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति की तिथि से आठ वर्ष की अत्यधिक लंबी अवधि व्यतीत होने एवं `1203.78 (`1022.89 लाख +147.89 लाख+ 33.00 लाख वन भूमि क्षतिपूर्ति) लाख की धनराशि व्ययित करने के उपरांत भी प्रखण्ड स्तर पर पूर्ण नहीं कराया जा सका था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य मार्ग के चारधाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग होने के कारण मार्ग में पड़ने वाली वन भूमि हस्तांतरण के बिना ही इस प्रत्याशा में प्रारम्भ कर दिया गया था कि उक्त

वन भूमि की विधिवत स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी परंतु विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप ही संबन्धित ठेकेदार द्वारा श्रम एवं सामाग्री की दरों में वृद्धि होने के कारण कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया था, उक्त निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों कि जब मुख्य अभियंता (ग.क्षे.) लो.नि.वि., पौड़ी स्तर से उक्त निर्माण कार्य के संबंध में दी गयी प्राविधिक स्वीकृति के साथ जारी प्राविधिक टिप्पणी के बिन्दु संख्या-26 एवं 27 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि मार्ग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार (वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI का प्रस्तर 378) आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए तथा कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का पालन कर लिया जाए एवं मार्ग पर वन भूमि हस्तांतरण के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए परंतु इकाई स्तर पर उपरोक्त नियमों/निर्देशों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गयी अनदेखी के परिणामस्वरूप ही उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति के आठ वर्ष बाद भी `1203.78 लाख (`1022.89 लाख + `147.89 लाख + `33.00 लाख वन भूमि क्षतिपूर्ति) की धनराशि व्यय करने के उपरांत भी अपूर्ण ही पड़ा है।

अतः वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का अनुपालन न किए जाने के परिणाम स्वरूप `1203.78 लाख की धनराशि व्यय करने के उपरांत भी स्वीकृति के आठ वर्ष बाद भी उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के अपूर्ण रहने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर - 1 : ₹ 28.35 लाख जमा धनराशि (Deposit) का समायोजन लंबित रहना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (गढ़वाल) के जमा (Deposit) से संबन्धित अभिलेखों तथा मासिक लेखा फरवरी 2021 (Monthly Account) के फॉर्म-79 की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय के पास विभिन्न ठेकेदारों की जमा धनराशि (Deposit) पड़ी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

(i) Sums due to Contractor on Closed Accounts - ₹ 1444290/-

(ii) Miscellaneous Deposit - ₹ 1390392/-

ख़्रद के फॉर्म-79 में उपरोक्त दोनों मदों में प्रारंभिक एवं अंतिम अवशेष के रूप में कुल ₹ 2834682/- धनराशि दर्शाई गयी है जिसका समायोजन लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों प्रकरण काफी पुराने हैं तथा ठेकेदारों द्वारा उक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए कार्यालय में नहीं आने के कारण धनराशि का समायोजन नहीं किया जा सका है यथाशीघ्र समायोजन कर लिया जाएगा। विभाग का उत्तर ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर – 2 : ₹ 35.35 लाख के विविध अग्रिम का समायोजन लंबित रहना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (गढ़वाल) की विविध अग्रिम पंजिका (Misc. Advance Register) की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कुल धनराशि ₹ 3534934/- असमायोजित पड़ी हुई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

(i) अधिकारी/कर्मचारी - ₹ 1116141/-

(ii) सप्लायर्स/ठेकेदार फर्म- ₹ 1987694/-

(iii) शासकीय विभाग - ₹ 431099/-

इस प्रकार कुल ₹ 35.35 लाख धनराशि का खंड द्वारा समायोजन किया जाना लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक लंबित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बताया गया कि असमायोजित विविध अग्रिम धनराशि का नियमानुसार अनुसार जल्द से जल्द समायोजन कर लिया जाएगा। विभाग का उत्तर ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर - 3 : ठेकेदारों के देयकों से कुल ₹ 8.99 लाख परिमार्जन नुकसान (LD) की कटौती न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 120/111(2)-2014/20(सामान्य)/2011 दिनांक 08.01.2014 के द्वारा निर्गत GPW-9 (Revised) के Clause 4.5 के अनुसार "if the whole work upto the forth milestone is not completed within the scheduled or re-scheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor from any money due to him by the Government under this contract or any other account what so ever. Otherwise the same will be recoverable as an arrear of land revenue through Collector."
अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर (गढ़वाल) के माह 02/2020 से माह 02/2021 तक के निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या – 1193/2015 के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत कठूली से डंगू तोली मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2066/111(2)/17-38(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.09.2017 द्वारा लंबाई-1.750 किलोमीटर हेतु लागत ₹ 164.98 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष कार्यालय अधीक्षण अभियंता, 12वां वृत्त, लोनिवि, पौड़ी के पत्रांक संख्या 809/1160 यातायात-12/2018 दिनांक 09.04.2018 द्वारा उक्त कार्य के विस्तृत आगणन पर लंबाई-1.750 किमी हेतु लागत ₹ 164.98 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए खंड द्वारा कुल 09 ठेकेदारों के साथ अलग-अलग अनुबंध किया गया था जिनमें से 05 ठेकेदारों द्वारा अनुबंध में निर्धारित कार्य को काफी विलंब से पूर्ण किए गए थे इसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	अनुबंध की धनराशि (रु)	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	अनुबंध पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	विलंब के दिनों की संख्या	नियमानुसार परिमार्जन नुकसान की धनराशि (रु)
1	14/EE	4177408.00	07.03.2019	16.06.2019	98	417740.00
2	35/EE	1243703.78	27.06.2020	24.09.2020	89	124370.00
3	58/EE	1409178.86	29.07.2020	25.09.2020	58	140918.00
4	59/EE	1388730.82	29.07.2020	08.10.2020	71	138873.00
5	23/AE	769981.52	19.02.2020	प्रगति पर है	395	76998.00
				योग		**898899.00**

उपरोक्त अनुबन्धो में ठेकेदारों द्वारा कार्य को पूर्ण करने में काफी विलंब किया गया जिस पर GPW-9 (Revised) के Clause 4.5 के अनुसार कुल ₹ 898899/- का परिमार्जन नुकसान (LD) की कटौती संबन्धित ठेकेदारों के देयकों से की जानी चाहिए थे, जोकि खंड द्वारा नहीं की गयी थी।
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बताया गया कि उपरोक्त प्रकरणों में समय वृद्धि स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। यदि समय वृद्धि स्वीकृत हो जाती है तो परिमार्जन नुकसान

(LD) संबंधित ठेकेदारों से काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अन्यथा की स्थिति में संबंधित ठेकेदारों से परिमार्जन नुकसान (LD) की कटौती नियमानुसार की जाएगी।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने में काफी विलंब हो चुका है तथा नियमानुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से पूर्व ही समय वृद्धि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति ली जानी चाहिए थी अन्यथा अंतिम बिल से परिमार्जन नुकसान की कटौती की जानी चाहिए थी जोकि खंड द्वारा नहीं की गई है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -4 : धनराशि ₹ 14.28 लाख का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली (प्रोक्यूरमेंट) 2017 के नियम 03 – **अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत** के बिन्दु 10 के अनुसार – *"निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाये। **अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।"***

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो.नि.वि., श्रीनगर के चयनित माह मार्च 2020 के बिलों/वाउचरों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि खंड द्वारा PWD Store के लिए M/s Krishna Murti Traders, Srinagar से दिनांक 28.01.2020 से 02.03.2020 के बीच Supply Orders के माध्यम से Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal Wire Mesh of Galvanised steel having mesh having 100 x 120 mm and mesh wire diameter 3mm for gabions size 3 x 1 x 1 mtr including loading unloading and forwarding charges का क्रय किया गया जिनका विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	**वाउचर सं.**	**दिनांक**	**Supply Order No.**	**दिनांक**	**Invoice No.**	**दिनांक**	**भुगतान की गयी धनराशि**
1	1	20.03.20	23/5AC	10.02.20	384	15.02.20	178475.00
2	2	20.03.20	21/5AC	03.02.20	378	06.02.20	178475.00
3	3	20.03.20	27/5AC	24.02.20	394	25.02.20	178475.00
4	4	20.03.20	26/5AC	20.02.20	391	25.02.20	178475.00
5	5	20.03.20	19/5AC	28.01.20	370	31.01.20	178475.00
6	6	20.03.20	24/5AC	17.02.20	389	22.02.20	178475.00
7	28	24.03.20	31/5AC	26.02.20	399	01.03.20	178475.00
8	29	24.03.20	32/5AC	02.03.20	403	07.03.20	178475.00
						योग	**1427800.00**

उपरोक्त तालिकानुसार एक ही सामाग्री को लगभग एक माह के अंदर अलग-अलग आठ भागों में एक ही विक्रेता से क्रय किया गया था, जबकि उत्तराखंड अधिप्रप्ति नियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुसार क्रय किए गए उपरोक्त सभी आठ भागों को मिलकर एक ही भाग एक साथ क्रय किए जाने से इकाई को निम्नतर दरों का लाभ मिल सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बताया गया कि भविष्य में एक साथ क्रय करने के लिए अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन किया जाएगा। खंड के उत्तर से ही लेखापरीक्षा आपत्ति कि पुष्टि होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**		
		भाग –II (अ)	**भाग –II (ब)**
1	18/2000-01	01	02
2	47/2001-02	1	02
3	40/2003-04	1,3	शून्य
4	78/2004-05	शून्य	01
5	86/2005-06	शून्य	02
6	36/2007-08	शून्य	01
7	62/2008-09	02	शून्य
8	59/2012-13	01,02,04	01
9	01/2014-15	02,03	1,4
10	08/2016-17	शून्य	01
11	102/2017-18	शून्य	01,03,04
12	100/2018-19	शून्य	01,02
13	123/2019-20	01	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

माप पुस्तिका संख्या – 289/L

2. सतत् अनियमितताएः **शून्य**

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**श्री डी. सी. नौटियाल**	**अधिशासी अभियंता**	**विगत लेखापरीक्षा से 18.12.2020**
ii	**श्री प्रत्युष कुमार**	**अधिशासी अभियंता**	**18.12.2020 से वर्तमान तक (अतिरिक्त प्रभार)**

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**श्री नरेंद्र सिंह रावत**	**खंडीय लेखाधिकारी**	**विगत लेखापरीक्षा से 05.10.2020**
ii	**श्री शैलेंद्र कुमार**	**खंडीय लेखाधिकारी**	**06.10.2020 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)